

NDOH: - 16/09/2025

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL**

**BRANCH, NEW DELHI**

**EXECUTION APPLICATION NO. 11-12/2024**

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 41/2020 & 94 of 2022**

**IN THE MATTER OF: -**

Pushpendra Kumar

...Applicants

Versus

Nagar Panchayat Kadaura & Ors.

...Respondents

**INDEX**

<b><u>S.NO.</u></b>	<b><u>PARTICULARS</u></b>	<b><u>PAGE NO.</u></b>
1.	Compliance Affidavit on behalf of Respondent No. 1 in compliance of order dated 16.05.2025 passed by This Hon'ble Tribunal.	1-13
2.	<b><u>ANNEXURE - R/1</u></b> A true copy of the letter dated 23.05.2023 by the Executive Officer, Nagar Panchayat, Kadaura, to the Special Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, requesting the allotment of ₹60,30,000/- for the rejuvenation of three identified ponds.	14-29
3.	<b><u>ANNEXURE - R/2</u></b> A true copy of news articles published in newspapers, which reflects the action taken by Respondent No. 1.	30-31

4.	<p><b><u>ANNEXURE - R/3</u></b> A true copy of the Action Taken Report dated 30.06.2025, submitted by Respondent No. 1 to the Additional District Magistrate/Officer in charge, (Local Bodies), Jalaun.</p>	32 - 38
5.	<p><b><u>ANNEXURE - R/4</u></b> A true copy of pending cases before the Ld. Additional District Magistrate (Judicial) under the Public Premises Act.</p>	39
6.	<p><b><u>ANNEXURE - R/5</u></b> A true copy of cases disposed of by the Ld. Additional District Magistrate (Judicial) under the Public Premises Act.</p>	40 - 43
7.	<p><b><u>ANNEXURE - R/6</u></b> A true copy of notices dated 03.07.2025, issued to 14 encroachers who have illegally occupied the pond bearing Plot No. 60, situated at Bramhori, Nagar Panchayat Kadaura.</p>	44 - 57
8.	<p><b><u>ANNEXURE - R/7</u></b> A true copy of notices dated 03.07.2025, issued to 08 encroachers who have illegally occupied the pond bearing Plot No. 61, situated at Bramhori, Nagar Panchayat Kadaura.</p>	58 - 65
9.	<p><b><u>ANNEXURE - R/8</u></b> A true copy of notices dated 03.07.2025, issued to 03 encroachers who have illegally occupied the pond bearing Plot No. 556, situated at Kadaura, Nagar Panchayat Kadaura.</p>	66 - 68

10.	<b><u>ANNEXURE - R/9</u></b> A true copy of the Action Taken Report dated 03.07.2025, submitted by Respondent No. 1 to the Additional District Magistrate/Officer in charge, (Local Bodies), Jalaun.	69-70
11.	Service Proof.	71

Filed by:-



Mr. Shwetank Sailakwal  
Mr. Narendra Shrivastava  
Advocates

B-3 Third Floor, Opp. Kashmiri Park  
Jangpura Extension, New Delhi-110014

Mob: +919990803222

Email: shwetanksailakwal@gmail.com

Place: New Delhi

Date: 30/07/2025



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL  
BRANCH, NEW DELHI**

**EXECUTION APPLICATION NO. 11-12/2024**

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 41/2020 & 94 of 2022**

**IN THE MATTER OF: -**

Pushpendra Kumar

...Applicants

Versus

Nagar Panchayat Kadaura & Ors.

...Respondents

**COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF  
RESPONDENT NO. 1 IN COMPLIANCE OF ORDER  
DATED 16.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL**

I, Deponent Ram Achal Kureel S/O Sri Mohan Lal Kureel  
51 Years old, currently working as an Executive Officer of Nagar  
Panchayat, Kadaura, District Jalaun, Uttar Pradesh, do hereby  
Solemnly affirm and declare as under: -

1. That the deponent is the Executive Officer of Nagar  
Panchayat, Kadaura, i.e., Respondent No. 1 in the  
abovementioned Execution Application, and is therefore well  
acquainted with the facts and circumstances of the present  
case, based on information and knowledge derived from the



4414  
अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (उप्र)

official records maintained in the ordinary course of business.

2. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 16.05.2025 was pleased to issue the following directions: -

8. *The District Magistrate, Jalaun appearing virtually had stated that the expeditious steps will now be taken for recovery of the environmental compensation of Rs. 1,82,88,200/- which is amount mentioned in the communication dated 28.01.2025. The District Magistrate, Jalun is also directed to disclose the steps that are taken for the expeditious removal of encroachment from ponds. Learned Counsel for the UPPCB has clarified that this is the amount of EC earlier imposed, which is still pending for recovery.*

9. *Respondent No. 1 is directed to disclose the step taken/ proposed for prevention of the flow of untreated sewage in the ponds and also prevention and rejuvenation of the ponds in question.*



AA/114  
उ.प्र. शासकीय अधिकारी  
जल संसाधन-कन्नौर  
मेहर (3030)

*10. Let the Affidavit in terms of the above observations be filed by the respondent no. 1 and District Magistrate, Jalaun within six weeks.*

3. That the applicant herein had filed Execution Application No. 11/12 of 2024, alleging that the directions passed by the Hon'ble Tribunal have not been complied with. It was further alleged that the ponds in question have not been properly maintained, as a result of which 4 out of the 13 ponds were found to be dry and 3 out of the 13 ponds were found to be encroached upon. It was also submitted that the amount of Environmental Compensation (EC) earlier imposed is still pending recovery.
4. That in compliance with the directions and order dated 16.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, the Respondent No. 1 is filing the present compliance affidavit before this Hon'ble Tribunal.

**DETAILED ACTION REPORT OF THE RESPONDENTS**

- A. That in compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 16.05.2025, Respondent No. 1 respectfully submits and




AA114  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत-कटोरा

4

places on record a letter dated 23.05.2023, sent by the Executive Officer, Nagar Panchayat, Kadaura, to the Special Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, requesting the allotment of ₹60,30,000/- for the rejuvenation of three identified ponds, in order to ensure compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 16.05.2025.

A true copy of the letter dated 23.05.2023 issued by the Executive Officer, Nagar Panchayat, Kadaura, to the Special Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, requesting the allotment of ₹60,30,000/- for the rejuvenation of three identified ponds is annexed herein and marked as **ANNEXURE - R/1**.

B. That in compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 16.05.2025, Respondent No. 1 respectfully submits and places on record copies of news articles published in newspapers, which reflects the action taken by Respondent



4414  
अतिरिक्त अधिकारी  
नगर पंचायत - कदौरा

No. 1 in compliance with the order dated 16.05.2025 of the Hon'ble Tribunal.

A true copy of news articles published in newspapers, which reflects the action taken by Respondent No. 1 is annexed herein and marked as **ANNEXURE – R/2**.

- C. That in compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 16.05.2025, Respondent No. 1 respectfully submits and places on record an Action Taken Report dated 30.06.2025. The report, submitted to the Additional District Magistrate/Officer-in-Charge (Local Bodies), Jalaun, states that out of 13 identified ponds, 10 have been rejuvenated. Work on the "Kerapati" pond could not be undertaken due to swampy conditions caused by the monsoon. At the "Bramhori" pond, encroachments by six illegal occupants were removed on 29.06.2025. For the remaining two ponds, "Dhobipur" and "Seer," quotations have been submitted to the government for allocation of funds for digging and rejuvenation work. The necessary work on these ponds will commence after the monsoon season, upon receipt of the



24/11/25  
अध्यायक, अधिका  
अनुसंधान-सहायक

6

required funds, in compliance with the Hon'ble Tribunal's directions dated 16.05.2025.

A true copy of the Action Taken Report dated 30.06.2025, submitted by Respondent No. 1 to the Additional District Magistrate/Officer in charge, (Local Bodies), Jalaun is annexed herein and marked as **ANNEXURE – R/3**.

D. That in compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 16.05.2025, Respondent No. 1 respectfully submits and places on record the details of pending cases before the Ld. Additional District Magistrate (Judicial) under the Public Premises Act. Upon disposal of these cases, appropriate action shall be taken against the concerned parties, in accordance with the directions issued by the Hon'ble Tribunal in its order dated 16.05.2025.

A true copy of pending cases before the Ld. Additional District Magistrate (Judicial) under the Public Premises Act is annexed herein and marked as **ANNEXURE – R/4**.




2414  
अधिशायी अधिकारी  
नगर प्रशासन-कलैया

E. That in compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 16.05.2025, Respondent No. 1 respectfully submits and places on record the details of cases disposed of by the Ld. Additional District Magistrate (Judicial) under the Public Premises Act. Pursuant to the disposal of these cases, necessary action has been initiated against the concerned parties in accordance with the directions issued by the Hon'ble Tribunal in its order dated 16.05.2025.

A true copy of cases disposed of by the Ld. Additional District Magistrate (Judicial) under the Public Premises Act is annexed herein and marked as **ANNEXURE – R/5**.

F. That in compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 16.05.2025, Respondent No. 1 respectfully submits and places on record copies of notices dated 03:07.2025, issued to 14 encroachers who have illegally occupied the pond bearing Plot No. 60, situated at Bramhori, Nagar Panchayat Kadaura. These notices were issued following the disposal of the suit under the Public Premises Act by the Learned Additional District Magistrate (Judicial), directing the



14/14  
अधिसूचना अधिकारी  
नगर पंचायत-कदाय  
कदाय

encroachers to pay environmental compensation for causing harm by failing to vacate the said pond. The notices further direct the encroachers to remove the unauthorized occupation within 30 days, failing which the said encroachment shall be removed by the Authorities. The expenses incurred for such removal shall be recovered from the concerned parties, and in the event of non-payment, recovery proceedings shall be initiated as arrears of land revenue, in accordance with the directions issued by the Hon'ble Tribunal in its order dated 16.05.2025.

A true copy of notices dated 03.07.2025, issued to 14 encroachers who have illegally occupied the pond bearing Plot No. 60, situated at Bramhori, Nagar Panchayat Kadaura is annexed herein and marked as **ANNEXURE – R/6**.

- G. That in compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 16.05.2025, Respondent No. 1 respectfully submits and places on record copies of notices dated 03.07.2025, issued to 8 encroachers who have illegally occupied the pond bearing Plot No. 61, situated at Bramhori, Nagar Panchayat



14/14  
 11/05/2025  
 20/05/2025

Kadaura. These notices were issued following the disposal of the suit under the Public Premises Act by the Learned Additional District Magistrate (Judicial), directing the encroachers to pay environmental compensation for causing harm by failing to vacate the said pond. The notices further direct the encroachers to remove the unauthorized occupation within 30 days, failing which the said encroachment shall be removed by the Authorities. The expenses incurred for such removal shall be recovered from the concerned parties, and in the event of non-payment, recovery proceedings shall be initiated as arrears of land revenue, in accordance with the directions issued by the Hon'ble Tribunal in its order dated 16.05.2025.

A true copy of notices dated 03.07.2025, issued to 08 encroachers who have illegally occupied the pond bearing Plot No. 61, situated at Bramhori, Nagar Panchayat Kadaura is annexed herein and marked as **ANNEXURE – R/7**.

That in compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 16.05.2025, Respondent No. 1 respectfully submits and



11/14  
KADAURA  
16/05/2025

## 10

places on record copies of notices dated 03.07.2025, issued to 03 encroachers who have illegally occupied the pond bearing Plot No. 556, situated at Kadaura, Nagar Panchayat Kadaura. These notices were issued following the disposal of the suit under the Public Premises Act by the Learned Additional District Magistrate (Judicial), directing the encroachers to pay environmental compensation for causing harm by failing to vacate the said pond. The notices further direct the encroachers to remove the unauthorized occupation within 30 days, failing which the said encroachment shall be removed by the Authorities. The expenses incurred for such removal shall be recovered from the concerned parties, and in the event of non-payment, recovery proceedings shall be initiated as arrears of land revenue, in accordance with the directions issued by the Hon'ble Tribunal in its order dated 16.05.2025.

A true copy of notices dated 03.07.2025, issued to 03 encroachers who have illegally occupied the pond bearing




R-414  
अभिशाषी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3090)

Plot No. 556, situated at Kadaura, Nagar Panchayat Kadaura is annexed herein and marked as ANNEXURE – R/8.

- I. That in compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 16.05.2025, Respondent No. 1 respectfully submits and places on record an Action Taken Report dated 03.07.2025, submitted to the Additional District Magistrate/Officer-in-Charge (Local Bodies), Jalaun. As per the report, on Plot No. 61 (0.069 hectare) in Bramohari, Kalpi Tehsil, 9 encroachments were identified, and 9 cases were lodged under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act before the Hon'ble Court of Additional District Magistrate (Judicial), Jalaun, which issued eviction orders. In compliance, a joint team of municipal revenue and police officials removed the encroachments on 29.06.2025. On Plot No. 60 (0.474 hectare) in Bramohari, Kalpi Tehsil, 14 encroachments were found, and 9 cases were filed before the same Hon'ble Court, which also passed eviction orders.

However, during the joint inspection on 29.06.2025, the site was found to be heavily waterlogged, making it inaccessible




14/14  
अधिशायी अधिकारी  
बनार पंचायत-कटौरा  
जालौज (3090)

## 12

to JCB machinery; therefore, the removal will be carried out post-monsoon. Additionally, on Plot No. 556 (0.661 hectare) pertaining to the NZA pond in Kadaura, Kalpi Tehsil, 33 encroachments were identified. Of these, eviction orders have been passed for 20, while 13 cases remain pending before the Hon'ble Court. During the inspection on 29.06.2025, it was observed that the encroached area lies within a densely populated zone with no accessible route for machinery. Consequently, once eviction orders for the remaining 13 cases are obtained, the encroachments will be legally removed in a single process, all in compliance with the Hon'ble Tribunal's directions dated 16.05.2025.

A true copy of the Action Taken Report dated 03.07.2025, submitted by Respondent No. 1 to the Additional District Magistrate/Officer in charge, (Local Bodies), Jalaun is annexed herein and marked as **ANNEXURE – R/9**.

5. That in view of the facts and circumstances hereinabove, it is respectfully submitted that the respondents are meticulously



24/11/25  
 27/05/2025  
 20105/2500

comply with the recommendation and direction passed by the Hon'ble Tribunal.

VERIFICATION

24/11/25  
DEPONENT  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत-कटौरा  
जालौज (3090)

Verified at \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2025 that I, the above-named deponent to hereby verify that the contents of the above stated paras are true to my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there form.



24/11/25  
DEPONENT  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत-कटौरा  
जालौज (3090)

From this day at Oral by Sri Rajm Gokul Kherwal  
Sri S. K. Pandey as Addressed  
in this document who is identified by  
Sri Rajm E. O. Nagar Panchayat  
now to me, I have received my fees

Rajm Gokul Kherwal  
Rajm E. O. Nagar Panchayat  
- Katoora - (Jalauj)

28/11/25  
S. K. PANDEY  
Notary, Oral (Jalauj)



# नगर पंचायत कदौरा जनपद-जालौन


डी०पी०आर०

वर्ष: 2025-26

'नगरीय झील / तालाब संरक्षण  
योजना के अन्तर्गत

लागत रु० 59.73- (लाख रु० में)

60.30



14/14  
अभिगाथा अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (उत्तर प्रदेश)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

क्रमांक- 04 नगरपालिका-कदौरा नगरीय झील पोखर जलाशय संरक्षण योजना/2025-26

दिनांक:- 23 मई, 2025

प्रति

विशेष अधिकारी  
उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-5  
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

प्रति

जिलाधिकारी  
जालौन स्थान उत्तर।

विषय:- नगर पंचायत कदौरा के अन्तर्गत स्थित तालाबों के संरक्षण हेतु नगरीय झील, पोखर, जलाशय तालाब संरक्षण योजनान्तर्गत कार्ययोजना का प्रेषण।

संदर्भ

उक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन के साथ अवगत कराना है कि नगर पंचायत कदौरा जनपद जालौन में स्थित 13 तालाबों में से 10 तालाबों के संरक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष धोवीपुरा तालाब, वैष्णोदेवी तालाब और सीर तालाब के संरक्षण सुविधाओं एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेंट के लिए कार्ययोजना तैयार की गयी है। कार्ययोजना उल्लिखित कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	कार्य का नाम	आंशिकता की धनराशि
1	नगर पंचायत कदौरा में धोवीपुरा तालाब (गा0सं0 292 ) में जाली की बाउण्ड्रीवाल एवं इण्टरलॉक लगाने का कार्य।	19.12 लाख
2	नगर पंचायत कदौरा में वैष्णो देवी मन्दिर तालाब (गा0सं0 657 और 659) में जाली की बाउण्ड्रीवाल एवं इण्टरलॉक लगाने का कार्य।	27.03 26.46 लाख
3	नगर पंचायत कदौरा में सीर तालाब लम्बाई 288 मी0 (गा0सं0 585/22) में जाली की बाउण्ड्रीवाल एवं इण्टरलॉक लगाने का कार्य।	14.15 लाख
कुल योग:- 170 लाख तीसरा ए.ए.ए.		663.59.73 लाख

उक्त 03 तालाबों की कार्ययोजना गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद संख्या-ओ0ए0 नं0 94/2022 पुष्पेन्द्र कुमार दनाम नगर पंचायत कदौरा में पारित आदेश के क्रम में तालाबों के संरक्षण हेतु तैयार की गयी है। अपेक्षित धनराशि अदभुक्त हो जाने पर नगर पंचायत कदौरा जनपद जालौन को गा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन करने में सुविधा होगी और जलनिकायों (water Bodies) का संरक्षण भी होगा। चूंकि प्रश्नगत कार्ययोजना गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों से आच्छादित है। इसलिए विशेष प्राथमिकता अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार रू0 59.73 लाख (रू0 उन्सठ लाख तिहत्तर हजार रुपये मात्र) की कार्य योजना स्वीकृत करने हेतु शासन को अपनी प्रबल संरतुति सहित पत्र प्रेषित करने की कृपा करें।  
सलंगन- कार्य योजना मूल रूप में।



Executive Engineer  
Construction Division 3 PWD GRAI

अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा (जालौन)

14/11/25  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा  
जालौन

16

प्रतिवेदन

प्रस्तुत आगणन अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी के अनुसार तैयार किया गया है जो नगर पंचायत में स्थित तालाबो के सौंदर्यीकरण से सम्बन्धित है उक्त तालाबो के सौंदर्यीकरण हो जाने से माननीय एन0जी0टी0 में दायर एजुकेशन एप्लीकेशन नं0 94/2022 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2024 के अनुपालन किये जाने में सुविधा होगी।


1. प्राक्कलन में दरों का प्राविधान लो0नि0वि0 2025 एवं के0लो0नि0वि0 2025 की दरों के अनुरूप किया गया है।
2. दरों का विश्लेषण कार्यालय अधिशासी अभियंता लो0नि0वि0 जालौन के द्वारा वर्तमान दर विश्लेषण के अनुसार किया गया है।
3. दर विश्लेषण में जो दूरी ली गयी है। वह मेरी जानकारी में सही है।
4. प्रमाणित किया जाता है जिन दरों शिडयूल आप रेट उपलब्ध नहीं है उन वस्तुओ और मदों की दर प्रचलित बाजार मूल्यो के आधार पर आकलित कर कार्ययोजना सम्मिलित की गई है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि प्राक्कलन का गठन स्थलीय सर्वे करके किया गया है।

*Shivam*  
अवर अभियन्ता

*Shivam*  
सहायक अभियन्ता  
Assistant Engineer  
CD - J PWD, ORANJALOURA

*Shivam*  
अधिशासी अधिकारी

*Shivam*  
अध्यक्ष



*Shivam*  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत - कटोरा  
जालौन

## कार्यालय नगर पंचायत कदौरा-जालौन

नगरीय झील/तालाब संरक्षण योजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य।

क्र०सं०	कार्य का नाम	आंगणन की धनराशि
1	नगर पंचायत कदौरा में धोतीपुरा तालाब (गा०सं० 292 ) में जाली की बाउण्ड्रीवाल एवं इण्टरलॉक लगाने का कार्य।	19.12 लाख
2	नगर पंचायत कदौरा में वैष्णो देवी मन्दिर तालाब (गा०सं० 657 और 659) में जाली की बाउण्ड्रीवाल एवं इण्टरलॉक लगाने का कार्य।	26.46 लाख 27.03
3	नगर पंचायत कदौरा में सीर तालाब लम्बाई 280 मी० (गा०सं० 585/22) में जाली की बाउण्ड्रीवाल एवं इण्टरलॉक लगाने का कार्य।	14.15 लाख
	कुल योग:-	60.30 59.73-लाख

*Shyamam*

अवर अभियन्ता  
नगर पंचायत कदौरा(जालौन)

*5/5/2024*

अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा(जालौन)

*[Signature]*

अध्यक्ष  
नगर पंचायत कदौरा(जालौन)



*24/4/24*  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन(3090)

18

उत्तर प्रदेश सरकार  
जनपद-जालौन

कार्यदायी संस्था का नाम-

नगर पंचायत कदौरा

योजना का नाम-

नगरीय झील/तालाब संरक्षण योजना

परियोजना का नाम-

1. नगर पंचायत कदौरा में धोवीपुरा तालाब (गा0सं0 292 ) में जाली की बाउण्ड्रीवाल एवं इण्टरलॉक लगाने का कार्य।
2. नगर पंचायत कदौरा में वैष्णो देवी मन्दिर तालाब (गा0सं0 657 और 659) में जाली की बाउण्ड्रीवाल एवं इण्टरलॉक लगाने का कार्य।
3. नगर पंचायत कदौरा में सीर तालाब लम्बाई ~~288~~ मी0 (गा0सं0 585/22) में जाली की बाउण्ड्रीवाल एवं इण्टरलॉक लगाने का कार्य। 170

अनुमानित लागत-

60.30  
रु0 ~~59.73~~ लाख

वित्तीय वर्ष-

2025-26

*Shivam*अवर अभियन्ता  
नगर पंचायत कदौरा(जालौन)*5/12/2024*अधिशापी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा(जालौन)*A*अध्यक्ष  
नगर पंचायत कदौरा(जालौन)

1414  
अधिशापी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन(3070)

नगर पंचायत कदीरा-जालीन

कार्य का नाम- दोरीपुरा तालाब 230 मी० (गा०स० 292 ) में जाती की बाउण्ड्रीवाल एवं इन्टरलॉक लगाने का कार्य।

DESCRIPTION	DETAILS OF MEASUREMENT							
	NOS	I.	II	III	QTY.	UNIT	RATE	AMOUNT
30 cm dia piles of single under framed of 30 cm dia in and 1.5 m depth in black cotton and with hand auger machine including all labour and T&P etc. for completion of work. As per its code 2911 (Part III) 1980 chapter 4 new item 1 FOR JALI	1 x 23				23.00			
					total	23.00	Nos.	10465.00
C work with cement approved coarse sand and 2 4") gauge approved stone ballast in the proportion of 1 in hotels of doors and windows excluding supply and placement and its binding but including wire and doing necessary centering and shuttering etc. and also supply of all materials, labour & T&P etc. Chapter no 5 item no-285 for pile FOR JALI	1 x 23	3.14 x 0.30 x 0.30/4		3.50	5.69			
					total	5.69	cum	47739.10
2 C work with cement approved coarse sand and 2 4") gauge approved stone ballast in the proportion of 3 in hotels of doors and windows excluding supply and reinforcement and its binding but including wire and doing necessary centering and shuttering etc. and also supply of all materials, labour & T&P etc. Chapter no 5 item no-289 for column FOR JALI	1 x 23	0.23	0.23	1.50	1.83			
					total	1.83	cum	10070.00
Work in excavation black cotton and in bundelhand area etc for interlock	1 x 2	230.00	0.25	0.30	34.50			
					total	34.50		157.000
Filling in plinth including supply of necessary quantity of form a distance not exceeding 8 km (5 miles) from the site of work and including watering dressing etc rate to the cost of all material, labour and T&P etc required for completion of work Chapter no-4 S1 No-255 JALI AND INTERLOCK.	1 x 1	230.00	0.25	0.10	5.75			
	1 x 1	230.00	2.00	0.10	46.00			
					total	51.75	cum	1810.00
Concrete with 4cm (1 5") gauge approved stone ballast coarse sand and cement in the proportion of 1 : 4 : 1 including supply of all materials, labour and T&P etc required for proper completion of work Chapter No-5 S1 No-281 JALI AND INTERLOCK.	1 x 1	230.00	0.25	0.10	5.75			
	1 x 1	230.00	2.00	0.10	46.00			
					total	51.75	Cum	5190.00
RCC work with cement approved coarse sand and 2 (3 4") gauge approved stone ballast in the proportion of 2 : 4 in hotels of doors and windows excluding supply and reinforcement and its binding but including wire and doing necessary centering and shuttering etc. and also including supply of all materials, labour & T&P etc. Chapter no 5 item no-285 for beam JALI	1 x 1	230.00	0.23	0.25	13.23			
					total	13.23	cum	8390.00
Mild steel or iron work of small sizes and section such as building down bolts, hold fasts, tie, rods, gratings etc when not included in all over all rates) wrought to required form including supply of steel bolts, nuts and wastage etc. and their being required for proper completion of work as per SOR no 502	1 x 1	20.75	78.50	1%	16.29			
					total	16.29	Qtl	6240.00
Cement concrete in foundation in 1 : 2 : 4 cement sand, 4 cm 5") gauge stone ballast, including all material, labour, T&P etc required for proper completion of work SOR Chapter NO 5 new item No-2 in black work	1 x 2	230.00	0.23	0.05	5.29			
					total	5.29	Cum	6500.00
Mild steel or iron work of small sizes and section such as building down bolts, hold fasts, tie, rods, gratings etc when not included in all over all rates) wrought to required form including supply of steel bolts, nuts and wastage etc. and their being required for proper completion of work as per SOR no 502	1 x 1	230.00			345.00	sqm		
					total	30.03	Qtl	10200.00
Painting or varnishing on iron works on small area or new work with one coat of ready mixed priming paint & two coat of approved superior quality ready mixed paint of clear synthetic varnish including supply of all materials, labour and T&P etc required for proper completion of work/ paint to be used should conform to the I S 8 no 103 1950 as per SOR no 641 & 642	1 x 1	230.00		1.50	345.00	sqm		
					total	345.00	sqm	99.00
First Class brick work masonry in 1 : 4 cement & fine sand including supply of all material, labour, T&P etc. Chapter No 6 S1 No 308 interlock	1 x 2	230.00	0.23	0.15	15.87	cum		
					total	15.87	cum	5650.00

Checked & Corrected  
JE (T)  
CD 3 PWD-Orai



S. K. Pandey  
Assistant Engineer

अधिशाषी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदीरा  
जालीन (3080)

DETAILS OF MEASUREMENT										
Part 1					Part 2					
Sl. No.	Particulars	Unit	Quantity	Rate	Sl. No.	Particulars	Unit	Quantity	Rate	
			230.00							
				Total					315.00	sqm
									840.00	
									289800.00	
				Total					1.00	job
									5000.00	
				Total					1.00	job
									5000.00	
TOTAL									1620259.50	
ADD 18% GST									291627.154	
G.TOTAL									1911776.01	
SAY (LAC)									19.12	

Checked & Correct

JE (T)  
CD-3 PWD-Ori

*Syhamoni*  
Junior Engineer  
N.P. KADAURA

*Anand Verma*  
Assistant Engineer  
CD-3 PWD ORAJALANDA

*A. Jaiswal*  
Executive Officer  
N.P. KADAURA

*A*  
Chairman  
N.P. KADAURA

AA114  
अधिसाक्षी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (39700)




नगर पंचायत कटोरा-जालीन

नाम- देवी मन्दिर के सामने सातवा 330 गी0 (गोरानो 057 व 059) में जाली की बाउण्ड्रीवाल एवं इण्टरलॉक लगाने का

DETAILS OF MEASUREMENT

DESCRIPTION	NOS	I.	II	III	QTY.	UNIT	RATE	AMOUNT
of 30 cm dia piles of angle under reamed of 50 cm dia with 3.5 m depth in black cotton soil with hand of auger machine including all labour and T&P etc for completion of work. As per is code 2011 (Part-III) 1990 chapter 4 new item 3 FOR JALI	1 x 33				33.00			
				total	33.00	Nos.	455.00	15015.00
C work with cement approved coarse sand and 2 4") gauge approved stone ballast in the proportion of in levels of doors and windows excluding supply of reinforcement and its binding but including wire and sling necessary centering and shuttering etc and also supply of all materials, labour & T&P etc. Chapter no 5 item no-253 for pile FOR JALI	1 x 33	3.14 x 0.30 x 0.30/4		3.50	8.16			
				total	8.16	cum	8390.00	68462.40
CC work with cement approved coarse sand and 2 4") gauge approved stone ballast in the proportion of 3 in levels of doors and windows excluding supply of reinforcement and its binding but including wire and sling necessary centering and shuttering etc and also supply of all materials, labour & T&P etc. Chapter no 5 item no-253 for column FOR JALI	1 x 33	0.23	0.23	1.50	2.62			
				total	2.62	cum	10070.00	26303.00
Work in excavation black cotton soil in bundelkhand area etc for jali	1 x 1	330.00	0.25	0.30	24.75			
				total	24.75		157.000	3885.75
Filling in plinth including supply of necessary quantity of Kum a distance not exceeding 8 km (Smiles) from the of work and including watering dressing etc rate to de cost of all material, labour and T&P etc required for er completion of work Chapter no-4 S I No-253 JALI AND INTERLOCK	1 x 1	330.00	0.25	0.10	8.25			
	1 x 1	330.00	2.00	0.10	66.00			
				total	74.25	cum	1810.00	134392.50
Concrete with 4cm (1 5") gauge approved stone ballast oved coarse sand and cement in the proportion of 8 4 1 ng supply of all materials, labour and T&P etc required e proper completion completion of work Chapter No- 5S I NO- 281 JALI AND INTERLOCK	1 x 1	330.00	0.25	0.10	8.25			
	1 x 1	330.00	2.00	0.10	66.00			
				total	74.25	Cum	5190.00	385357.50
CC work with cement approved coarse sand and 2 (3.4") gauge approved stone ballast in the proportion of 4 in levels of doors and windows excluding supply of reinforcement and its binding but including wire and sling necessary centering and shuttering etc and also gng supply of all materials, labour & T&P etc. Chapter no 5 item no-285 for beam JALI	1 x 1	330.00	0.23	0.25	18.98			
				total	18.98	cum	8390.00	440000.70
Id steel or run work of small sizes and section such as dng down bolts, hold fasts, etc, rods gratings etc when ncluded in all over all rates) wrought to required form ng supply of steel bolts, nuts and washage etc. and their g required for proper completion of work as per SOR no. 502	1 x 1	24.01	78.50	1%	18.85			
				total	18.85	Qil	6240.00	447640.68
Recent concrete in foundation in 1 2 4 cement sand, 4 cm ) gauge stone ballast, including all material, labour, T&P equred for proper completion of work SOR Chapter NO 5 item no-281 dpc in brick work	1 x 2	330.00	0.23	0.05	7.59			
				total	7.59	Cum	6500.00	49335.00
Id steel or run work of small sizes and section such as dng down bolts, hold fasts, etc, rods gratings etc when ncluded in all over all rates) wrought to required form ng supply of steel bolts, nuts and washage etc. and their g required for proper completion of work as per SOR no. 502	1 x 1	330.00		1.50	495.00	sqm		
					71.78	Qil		73215.00
				total	71.78	Qil	10200.00	732106.00
Painting or varnishing on run works in small area of ream ed work with one coat of ready mixed priming paint & two at of approved superior quality ready mixed paint of clear these varnish including supply of all materials, labour and P etc required for proper completion of work/ paint to be ad should conform to the IS I no 101 1950 as per SOR no. no 641 & 642	1 x 1	330.00		1.50	495.00	sqm		
				total	495.00	sqm		
							99.00	49005.00
First Class brick work masonry in 1:4 cement & fine sand ncluding supply of all material, labour, T&P etc chapter No 6-41 No 305 interlock	1 x 2	330.00	0.23	0.15	22.77	cum		
				total	22.77	cum		
							5650.00	128650.50

Checked & Corrected  
JE (T)  
CC-1 PWD-Orai



Anchal Verma  
Assistant Engineer  
5/11/2025

M14  
अभिशाषी अधिकारी  
नगर पंचायत-कटोरा  
जालीन (3070)

DETAILS OF MEASUREMENT					
1	3	1	330.00	1.50	
total 495.00 sqm					
1	1	1			
total 1.00 Job					
1	1	1			
total 1.00 Job					
				5000.00	5000.00
<b>TOTAL</b>					<b>3341987.73</b>
<b>ADD 18% GST</b>					<b>493557.792</b>
<b>G.TOTAL</b>					<b>2645545.52</b>
<b>SAY (LAC)</b>					<b>26.46</b>

2290309.25  
412255.68  
2702564.93  
27.03

Checked & Correct  
JE (I)  
CD J.P.WD-Oral

*S. K. Pandey*  
Junior Engineer  
N.P. KADAURA

*Anil Verma*  
Asst. Engineer  
CD J.P.WD-Oral

*S. K. Pandey*  
Executive officer  
N.P. KADAURA

*N.P. Kadaura*  
Chairman  
N.P. KADAURA



24/14  
अधिराजी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3090)


नगर पंचायत कदीरा-जालीन

का नाम- शीर सातार नम्बर 170 गी (गवर्नो 605/22) में जाली की बाउण्ड्रीवाल एवं इण्टरलॉक लगाने का कार्य।

DETAILS OF MEASUREMENT

DESCRIPTION	NOS	I.	II	III	QTY.	UNIT	RATE	AMOUNT
10 cm dia poles of single under framed of 50 cm dia with and 3 m depth in black cotton soil with hand digger machine including all labour and T&P etc for completion of work. As per schedule 2011 (Part-III) IS:1 chapter 4 item item 1 FOR JALI	1 x 17				17.00			
				total	17.00	Nos.	455.00	7735.00
2" C work with cement approved coarse sand and 2 (4") gauge approved stone ballast in the proportion of in lintels of doors and windows excluding supply of reinforcement and its binding but including wire and using necessary centering and shuttering etc and also including supply of all materials, labour & T&P etc. Chapter no 5 item no-255 for pole FOR JALI	1 x 17	3.14 x 0.30 x 0.30/4			3.500	4.20		
				total	4.20	cum	8390.00	35238.00
2" C work with cement approved coarse sand and 2 (4") gauge approved stone ballast in the proportion of 3 in lintels of doors and windows excluding supply of reinforcement and its binding but including wire and using necessary centering and shuttering etc and also including supply of all materials, labour & T&P etc. Chapter no 5 item no-259 for column FOR JALI	1 x 17	0.23	0.23	1.50	1.35			13594.50
				total	1.35	cum	10070.00	44683.93
Work in excavation black cotton soil in bundkhand area etc for jali	1 x 2	170.00	0.25	0.30	25.50			
				total	25.50		157.000	4003.50
and filling in earth	1 x 1	170.00	0.25	0.100	4.25			
	1 x 1	170.00	2.00	0.100	34.00			
				total	38.25	cum	1810.00	69232.50
1:1 concrete with 4cm (1 1/2") gauge approved stone ballast and coarse sand and cement in the proportion of 8:4:1 including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion completion of work Chapter No- 55 INO- 281 JALI AND INTERLOCK	1 x 1	170.00	0.25	0.10	4.25			
	1 x 1	170.00	2.00	0.10	34.00			
				total	38.25	Cum	5190.00	198517.50
2" C.C work with cement approved coarse sand and 2 (3:4") gauge approved stone ballast in the proportion of 4 in lintels of doors and windows excluding supply of reinforcement and its binding but including wire and using necessary centering and shuttering etc and also including supply of all materials, labour & T&P etc. Chapter no 5 item no-285 for beam JALI	1 x 1	170.00	0.23	0.25	9.78			
				total	9.78	cum	8390.00	82054.20
1/2" steel or iron work of small sizes and section such as binding down bolts, hold fasts, tie, rods, gratings etc when included in all over all rates) wrought to required form including supply of steel bolts, nuts and wastage etc and their weight required for proper completion of work as per SOR no 502	1 x 1	15.33	78.50	1%	12.03			75067.20
				total	12.03	Qtl	6240.00	26992.47
1:2 cement concrete in foundation in 1:2:4 cement sand, 4 cm (1") gauge stone ballast, including all material, labour, T&P required for proper completion of work SOR Chapter NO 5 new item NO-5 dpc in brick work	1 x 2	170.00	0.23	0.05	3.91			
				total	3.91	Cum	6500.00	25415.00
1/2" steel or iron work of small sizes and section such as binding down bolts, hold fasts, tie, rods, gratings etc when included in all over all rates) wrought to required form including supply of steel bolts, nuts and wastage etc and their weight required for proper completion of work as per SOR no 502	1 x 1	170.00		1.50	255.00	sqm		
					36.98	Qtl		37719.60
				total	36.98	Qtl	10200.00	377446.00
Painting or varnishing on iron works in small area or new galvanized work with one coat of ready mixed priming paint & two coats of approved superior quality ready mixed paint of clear finish varnish including supply of all materials, labour and T&P etc required for proper completion of work/paint to be used should conform to the ISI no 103 1950 as per SOR no 641& 642	1 x 1	170.00		1.50	255.00	sqm		
				total	255.00	sqm	99.00	25245.00
1:4 Class brick work masonry in 1:4 cement & fine sand including supply of all material, labour, T&P etc chapter No 6 S I No 305 interlock	1 x 2	170.00	0.23	0.15	11.73	cum		
				total	11.73	cum	5650.00	66274.50

JE (T)  
CO-3 PWD-Orai





Shyam  
Anand Verma  
Assistant Engineer

14/14  
अभिषेक ठाकुर  
नगर पंचायत-कदीरा  
जालीन, कदीरा



गुहला पुरवा वैष्णो देवी तालाव गाटा रां0 657 व 659



Shivamam



9/28

☆




1414  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगर पंचायत-कटोरा  
 जालोन (3920)

गुरुल्ला घोडीपुरा तालाब 292



Shivaram

1/20



28

2014

अधिकांश अधिकारी  
 जजरी प्रशासन-कटोरा  
 जालीज (3090)

A

# इन्तख़ाब खतौनी जान जेड ए

मुफ़ाल-

परगना कालपी तहसील कालपी जिला- जालौन सन् 1977 फ०

नाम कस्बे/गाँव नद बस्थित तथा संख्या	मुसदत काष्ठ	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टर	लगान नगदी जिन्ती	विवरण	
	3	4	5	6	7	8

IS (1) खेत गजग ग्राम  
खालाब




✓ 292 0.353  
566 0.611  
✓ 585 0.235  
586 2.679  
✓ 657 0.101  
✓ 659 0.101  
946 1.226  
7कित 5.306

लक्ष्मणललिपि  
शांतिनी कान जेड निगति  
17/10/2008  
सोब भारकर  
मजदूर बेआमल  
जालौन



14/14  
अधिशायी अधिकारी  
नजर बंदायत-कदौरा  
जालौन (3020)

मुहल्ला सीर तालाब गाटा सं० 505/22



Sh. Namam  
 ७६

1/20

14/14  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगर पंचायत - कटोरा  
 जालंधर (2020)

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
जालौन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
3090 शासन,  
नगर विकास अनुभाग-5,  
लखनऊ।

पत्रांक-

248 / 21-एल0वी0ए0

उरई::दिनांक: 02/6/2025

विषय :-

नगर पंचायत, कदौरा, जनपद-जालौन के अर्न्तगत स्थित तालावों के संरक्षण हेतु नगरीय झील/तालाब/पोखरसंरक्षण योजनानर्न्तगत कार्ययोजना का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कदौरा के संलग्न संख्या-94/न0प0कदौरा/नगरीय/झील, पोखर, जलाशय संरक्षण योजना/2025-26, दिनांक 23 मई, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या-ओ0ए0 न0-94/2022 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम नगर पंचायत, कदौरा में पारित आदेश के क्रम में नगर पंचायत सीमान्तगत स्थित विभिन्न तालावों की अवरस्थापना सुविधाओं हेतु "नगरीय झील/तालाब/पोखरसंरक्षण योजना" के अर्न्तगत मु0 60.30 लाख की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।

अतः नगर पंचायत, कदौरा सीमान्तगत स्थित विभिन्न तालावों में अवरस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के आदेशों से आच्छादित कार्ययोजना इस अनुरोध के साथ संस्तुति सहित सादर प्रेषित है कि कार्ययोजना में वर्णित तालावों में अवरस्थापना सुविधाओं के कार्य कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक :: उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)  
जिलाधिकारी, जालौन

24/4  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3090)

कदौरा के बम्होरी में तालाब पर 58 लोगों ने किया है कब्जा

# 18 कब्जे कराए ध्वस्त तालाब की जमीन मुक्त

कदौरा, संवाददाता । तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर नगर पंचायत व जिला प्रशासन ने अभियान चलाया। सख्ती से पुल डोजर चला कर 12 से अधिक अवैध कब्जों को ध्वस्त किया। खुद के सामने मिट्टी में मिलते कब्जों को देख महिलाओं ने विरोध का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सख्ती पर किसी को नहीं चली।

नगर के बम्होरी में तालाब की जमीन में अस्थाई व स्थाई आवास बना कर कई लोग रह रहे थे। 2020 में नगर पंचायत ने 58 कब्जाधारकों को चिन्हित कर कोर्ट में मामला डाला था। जिस पर कोर्ट ने 35 कब्जाधारकों को कब्जा मुक्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन कब्जाधारकों ने जमीन खाली नहीं की। नोटिस को कारवाई नहीं की गई, पर कोई असर नहीं हुआ। रविवार को उपजिलाधिकारी सुरेश कुमार की अगुआई में प्रभारी ईओ रामअचल कुरील के साथ सार्वजनिक विभाग पुलिस प्रशासन व नगर पंचायत टोम वूल डोजर लेकर पहुंची तो महिलाएं आ गईं और कार्यवाही का विरोध करने लगीं लेकिन



कदौरा में अतिक्रमण को हटाती जेसीबी और मौजूद अधिकारों।

**66** तालाब की जमीन पर 58 लोगों ने अवैध कब्जा किया था। कोर्ट ने 35 लोगों को कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया था। रविवार को 18 कब्जाधारकों को ध्वस्त किया गया। जलभराव होने से जेसीबी नहीं चल पा रही थी। जैसे ही पानी कम होगा तो कब्जों को मुक्त कराया जाएगा। - रामअचल कुरील, प्रभारी ईओ नगर पंचायत कदौरा

पुलिस की सख्ती पर किसी को नहीं चली। टोम ने 18 अस्थाई आवासों को ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर सीओ

अवधेश कुमार सिंह, ईओ राम अचल कुरील, लेखपाल राजवदर मिश्र, प्रभारी निरीक्षण प्रभात सिंह मौजूद रहे।



11/11  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3090)

### घर जा रही महिला से मारपीट मुकदमा दर्ज

जब औरिया आरोपित केरु कोर्ट से घर जा रही महिला को भी समेत समुदायजन ने घासे में रोक लिया और फंसा। आरोप है कि समुदायजन महिला पर मुकदमा खारज लेने की धमकी देकर जहाँ से चले गए। वहीं पुलिस ने घमण्ड दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सदर कोतवाली के गव्य खानपुर निवासी भारिया ने कोतवाली पुलिस को बताया कि उसका काफी समय से समुदायजन से दहेज का मुकदमा कोर्ट में विचारार्थ है। 30 मई को वह ताण्ड पर पकड़ रोड स्थित कोर्ट गई थी। वहाँ से वापस आने के दौरान कानपुर देहात जिला सिक्टरी के गव्य खानपुर निवासी पति कुमुम नंदम, पवन, छोट, गुर्वि, सुमन, रमक ने रास्ते में रोक लिया। पहले महिला का विरोध करने पर महिला के साथ आतंकिता ने मारपीट कर दी। आरोपितों ने महिला से मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। ऐसे न करने पर महिला व उसके परिवार के लोगों को मार देने की धमकी देते हुए वहाँ से चले गए। कोतवाल राजकुमार सिंह ने कहा कि सीओ सिटी के निर्देश पर गिर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच कर कार्रवाई होगी।

## 18 अस्थायी निर्माणों को किया गया ध्वस्त

विवाद शुरू जमाना • कोर्टों : तालाब की जमीन को अधिकतम मुक्त करने के लिए नगर पंचायत, प्रशासन ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर विवाद की अधिकांश भूखंडों को ध्वस्त कर दिया गया। कुछ महिलाओं ने इस दौरान विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सख्तों के आगे उनकी एक न पली।

नगर के मुकाल्ल बगौरी ने दो तालाब हैं। एक तालाब का रकबा 0.474 हेक्टेयर तथा दूसरे तालाब का रकबा 0.069 हेक्टेयर है। तालाब की जमीन पर कुछ लोग अधिकांश करके अस्थायी और स्थायी आवास बनाकर रहने लगे थे। वर्ष 2020 में नगर पंचायत ने 58 अस्थायी कब्जाधारकों को धिक्का करके न्यायालय में खर्च टापर किया था जिस पर न्यायालय ने 35 कब्जाधारकों को वहाँ से हटाने का आदेश नगर पंचायत को दिया था। नगर पंचायत ने इन लोगों को काफी पहले नोटिस के माध्यम से जगह खाली करने के लिए नोटिस जारी किए थे लेकिन कब्जाधारकों ने जमीन खाली नहीं की। रविवार को उप जिलाधिकारी सुशोभा कुमारी सिंह की अगुआई में राजस्व विभाग, पुलिस व



अस्थायी आवासीय ध्वस्त करती पुलिसफोर्स • जखनपुर

### न्यायालय के आदेश पर की गई कार्रवाई महिलाओं ने जताया विरोध शेष अवधि कब्जाधारकों को दिया गया 15 दिन का समय

नगर पंचायत की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो कई महिलाओं ने पर को महिलाएं घर के बाहर निकल आईं और विरोध करने लगीं।

हालांकि पुलिस ने सख्त दिखाने जिसकी वजह से उनका विरोध असरकारक साबित नहीं हुआ। दोम ने 18 अस्थायी आवासों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से अधिकतमकारियों में अफस तपरो मप गई। इस मौके पर सीओ अशोका कुमार सिंह, नगर पंचायत के डीओ रामअचल कुशाल, लखपाल राजवोर

सिंह, प्रभारी निरीक्षण प्रभक्त सिंह सहित पुलिस फोर्स मौजूद था।

दोमों रामअचल कुशाल ने बताया कि तालाब की जमीन पर उन स्थितियों ने अस्थायी कब्जाधारकों को जाम पर कोर्ट में 30 अस्थायी कब्जाधारकों को हटाने आदेश दिया था। तालाब की 18 अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त किया गया है।

तालाब में पानी को होने का वजह से जमीन नहीं चल पा रही थी।

जैसे ही पानी कम होगा तब शेष अवधि निर्माण का भी काम दिया जाएगा। रामअचल कुशाल सुभाष सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर अभी अस्थायी अधिकतम को हटाया गया है।

समय समय सम्पत्ति के बाद इस भी अधिकतम मुक्त करवाया जाएगा।



*Handwritten signature:* 24/11/24  
**अधिशाली अधिकारी**  
नगर पंचायत-कटोरा  
जालौन (3070)

# कार्यालय :- नगर पंचायत कदौरा, जालौन

L.B.A.

पत्रावली कदौरा  
जालौन

पत्रांक- 148 / न0प0कदौरा/ एन0जी0टी0 अनुपालन आख्या/2025-26

दिनांक- 30 / जून / 2025

30.06.25  
ADW/FA

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/  
प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0)  
जालौन।

**विषय-** माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No. 94/2022(IA संख्या 425/2024, IA संख्या 232/2024, IA संख्या 168/2025 में निष्पादन आवेदन संख्या-11/2024 तथा मूल आवेदन संख्या 41/2020 (I.A. Nos. 426/2024, IA संख्या 233/2024, IA संख्या 169/2025) में निष्पादन आवेदन संख्या 12/2024 दिनांक 16 मई, 2025 में पारित निर्देशों की अनुपालन आख्या के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी जालौन के पत्रांक-298/21-एल0बी0ए0 उरई दिनांक 13 जून, 2025 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के कम में बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

क्र0सं0	बिन्दु	आख्या बिन्दु
01	सदर तालाब के प्रदूषण नियंत्रण एवं अतिक्रमण के रोकने हेतु पैरीफेरल ड्रेन एवं बाउण्ड्रीवाल बिद प्रोटेक्टिव मैस के निर्माण की अद्यतन स्थिति।	नगर पंचायत कदौरा में 15 वें वित्त आयोग की स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार सदर तालाब के चारों तरफ अतिक्रमण हटाकर वाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर तार फेंसिंग का कार्य करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त अमृत 2.0 के अन्तर्गत 152.28 लाख की लागत से कार्यदायी संस्था उ0प्र जल निगम द्वारा निम्न कार्य कराये गये हैं- 1. Desilting and dredging work in pond - 100% completed 2- Stone pitching work - PCC work under progress 3- Fencing Work - Fabrication under progress 4- C.C bench Installation- Under progress 5- Horticulture work - Under progress जल निगम द्वारा 55 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गयी है जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ण करा लिए गये हैं।
02	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा M.A. No. 43/2022 in O.A. No. 41/2020 and O.A. No. 94/2022में पारित आदेश दिनांक 11.10.2022 में तालाबों के जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उल्लेखित Waste water Treatment Technologys and its utilization के सम्बंध में अद्यतन स्थिति।	नगर पंचायत कदौरा में स्थित तालाबों के जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिये जिन तालाबों में घरेलू अपशिष्टों के प्रवाह के मार्ग को व्यवर्तित करते हुए तालाबों से पूर्णतः पृथक कर दिया गया है, जिससे तालाबों का पानी दूषित न हो और उनमें बायोरेमिडेशन करने की योजना प्रस्तावित है तथा उनमें जल के शुद्धीकरण हेतु बायोरेमिडेशन कराने की कार्ययोजना तैयार कर बोर्ड के समक्ष स्वीकृत कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यथाशीघ्र धन की उपलब्धता के आधार पर कार्ययोजना स्वीकृत कराकर कार्य कराया जायेगा तथा तालाबों के जल का उपयोग फसलों के सिंचाई के लिए किया जा सकेगा।

अतिरिक्त अधिकारी  
जल निगम कदौरा-जालौन  
दिनांक 30/06/2025



03	तालाबों में जल की गुणवत्ता के सुधार एवं गारबेज आदि को तालाबों में न डालने हेतु जन-सामान्य को जागरूक किये जाने के उद्देश्य से किये गये कार्यक्रमों की सूचना।	नगर पंचायत कदौरा में स्थित तालाबों में जल की गुणवत्ता के सुधार के लिये जाल डाल करके अनावश्यक खरपतवार को निकाल दिया गया है और क्लोरीन रसायन का उपयोग कर पानी की गुणवत्ता में सुधार किया गया है। तालाबों में गारबेज न डालने के लिए आई0ई0सी0 के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधिया संचालित करते हुए यथा नुक्कड़ नाटक, प्रचार-प्रसार सामग्री, पम्पलेट एवं पी0एस0 सिस्टम से जन जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। उक्त जागरूकता कार्यक्रमों से जन सामान्य में स्वच्छता के प्रति रुझान बढ़ रहा है और लोग निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं।
04	नगर पंचायत कदौरा के घरेलू प्रयोजनों से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु ड्रेनेज सिस्टम एवं पर्याप्त क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति।	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद संख्या-11/2024 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम् नगर पंचायत कदौरा एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में घरेलू मल-जल को शोद्धित करने हेतु नगर पंचायत कदौरा में एस0टी0पी0 (सीवेरेज ट्रीटमेंट प्लांट) की स्थापना के लिये सेनीटेशन एक्शन प्लान (CSAP) के अन्तर्गत नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय (SLTC) बैठक द्वारा स्वीकृति के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम-नगरीय द्वारा भारत सरकार के एस.बी.एम. 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत कदौरा जनपद-जालौन के तालाबों में निस्तारित हो रहे नालों को टेप किये जाने हेतु एस.टी.पी. सीवेरेज पंपिंग स्टेशन नालों की आई.एण्ड.डी. वर्क्स एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु सिटी सेनीटेशन एक्शन प्लान तैयार कर स्वीकृत हेतु अग्रसारित किया गया था। जिसकी स्वीकृति प्रदान किये जाने पर नगर पंचायत कदौरा में दो मुख्य नाले यथा बेरी रोड एवं खेड़ापति मेन आउटर ड्रेन को टेप किये जाने हेतु एस0टी0पी0 सीवेज पंपिंग स्टेशन, नालों की आई.एण्ड.डी. वर्क एवं कोर सेनिटेशन जोन में सीवर नेटवर्क एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यों हेतु एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राक्कलन अनुमानित लागत-762.30 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों का संचालन एवं रख-रखाव 226.30 लाख का ओपैक्स तैयार किया गया है। उक्त प्रस्ताव राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रेषित किया गया है।
05	नगर पंचायत कदौरा के अन्तर्गत आच्छादित समस्त तालाबों से जनित स्लज के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जनित स्लज के निस्तारण हेतु खुदाई का कार्य किया जा रहा है। परन्तु स्लज घरेलू मल-जल से निकली हुई सिल्ट है, जिसमें कोई खतरनाक रसायन सम्मिलित नहीं है। इसलिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है और इस सिल्ट को लो लैण्ड में भरा जा रहा है।
06	नगर पंचायत कदौरा के अन्तर्गत आच्छादित समस्त तालाबों में एक्यूबेटिक बीड्स के नियंत्रण एवं जल गुणवत्ता के सुधार हेतु तालाबों में मछलियों को डालने की स्थिति।	नगर पंचायत कदौरा के अन्तर्गत आच्छादित घोबीपुरा तालाब में जलकुम्भी को मैनुअल एवं यांत्रिक विधि से साफ कर स्वच्छ कर लिया गया है तथा वैष्णोमाता मंदिर तालाब के तली की खुदाई का कार्य पूर्ण है। स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न है। अग्रतर यह भी अवगत कराना है कि एक्यूबेटिक बीड्स के नियंत्रण हेतु उचित प्रजाति की मछलियों को डालने के लिए मत्स्य विभाग से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।




अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3090)



अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।







6	659	0.101	वैष्णोमाता मन्दिर के पास	नगर पंचायत कदौरा के अन्तर्गत आच्छादित वैष्णोमाता मन्दिर के पास स्थित तालाब में खुदाई का कार्य गतिमान है तथा बाउन्डीवाल पूर्व से बनी हुई है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न।	 <p>Latitude: 25 983291 Longitude: 79 839998 Elevation: 147.8886 m Accuracy: 56.1 m Time: 17-04-2025 15:07 Note: purva talab</p>
7	946	1.226	बहरी तालाब	नगर पंचायत कदौरा के अन्तर्गत आच्छादित जगनहा तालाब को साफ कर स्वच्छ कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मछली पालन हेतु प्रश्नगत तालाब की नीलामी की गयी थी, वर्तमान में मछली पालन का कार्य किया जा रहा है प्रमाण स्वरूप मत्स्यआखेट की छायाप्रति संलग्न है।	 <p>Latitude: 25 981788 Longitude: 79 838281 Altitude: 86.7s14 m Accuracy: 82.5 m Time: 04-17-2025 13:20 Note: बहरी तालाब नगर पंचायत कदौरा कदौरा</p>
8	430/994	0.130	नागिन शक्ति	पूर्व में उक्त तालाब की खुदाई कर तालाब के आच्छादित क्षेत्रफल को बाउन्डीवाल का निर्माण कर सुरक्षित कर लिया गया है। तालाब पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। तालाब सूख जाने के कारण जलीय घास उग आई है, जिसे खुदाई कर निस्तारित किया जायेगा। बारिस का पानी संग्रहीत करने के लिए हयूम पाइप डाले गये है।	 <p>Latitude: 25 986433 Longitude: 79 844309 Elevation: 147.8s2 m Accuracy: 4.7 m Time: 15-04-2025 14:28 Note: Nagini shakti Talab, K...</p>

अधिसूचना अधिसूचना  
नगर पंचायत-कदौरा  
जाली (3090)





4/20

9	585/2 (22)	0.235	सीर तालाब	नगर पंचायत कदौरा के अन्तर्गत आच्छादित सीर तालाब में खुदाई एवं सफाई कार्य किया ज रहा है तथा बाउन्डीवाल बनाकर तालाब को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लिया गया है। बरसात का पानी संग्रहीत करने हेतु ह्यूम पाइप डाले गये है। स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न।	 Latitude: 25.98723 Longitude: 79.829193 Elevation: 149.4756 m Accuracy: 98.2 m Time: 12-05-2025 17:28 Note: mobile near lake
10	292/2	0.353	धोबीपुरा तालाब	नगर पंचायत कदौरा में स्थित धोबीपुरा तालाब में जल की गुणवत्ता के सुधार के लिये जाल डाल करके अनावश्यक खरपतवार को निकाल कर नष्ट कर दिया गया है और क्लोरीन रसायन का उपयोग कर पानी की गुणवत्ता में सुधार किया गया है। इस तालाब का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया है। धनराशि स्वीकृत होने पर जीर्णोद्धार का कार्य कराया जायेगा।	 Latitude: 25.958947 Longitude: 79.835133 Elevation: 149.86220 m Accuracy: 234.0 m Time: 12-05-2025 16:21 Note: mobile near lake
11	60	0.474	बन्हौरी तालाब	उक्त तालाब के आच्छादित क्षेत्र पर 14 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिनके विरुद्ध पीपीओ एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी न्यायिक जालौन के यहां योजित वादों में सभी का निस्तारण हो गया है। आज दिनांक 29.06.2025 को अतिक्रमण हटाओं अभियान के अन्तर्गत उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में टीम के साथ अवैध कब्जे हटाने के लिए उपस्थित हुआ परन्तु वहां पर तालाब में जलभराव के कारण जे०सी०वी० न पहुंचने से अतिक्रमण हटाने में प्रभावी कार्यवाही सम्भव नहीं हो पायी। वर्षा ऋतु के पश्चात अतिक्रमण हटाया जायेगा।	

अधिसूचना  
नगर पंचायत कदौरा-कदौरा  
जिला कदौरा (2025)  
20/05/2025



1/20

12	61	0.069	बम्हौरी तालाब	उक्त तालाब के आच्छादित भूक्षेत्र पर 09 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिनके विरुद्ध पीपीपी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी न्यायिक जालौन के यहां योजित वादों में से सभी का निस्तारण हो गया है। आज दिनांक 29.06.2025 को उपजिलाधिकारी महोदय, क्षेत्राधिकारी कालपी और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में अतिक्रमण अभियान चलाकर अवैध कब्जे की भूमि अवमुक्त करा ली गयी है। स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न है।	
13	566	0.611	खेरापति	नगर के मध्य आबादी में स्थित है जिस पर 33 अतिक्रमण किया हुआ है, जिसमें 20 वादों का निस्तारण हो चुका है। घनी आबादी के अन्दर होने के कारण सभी मुकदमों निस्तारित होने पर अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	

नगर पंचायत कदौरा में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में नगर पंचायत कदौरा में स्थित 13 तालाबों में से 10 तालाबों की स्थिति में पर्याप्त एवं संतोषजनक सुधार कर लिया गया है। खेरापति तालाब में भूमि दलदली होने के कारण वर्षा ऋतु में कार्य कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा बम्हौरी स्थित तालाब में अवैध कब्जेधारकों से 06 लोगों के विरुद्ध आज दिनांक 29.06.2025 को अभियान चलाकर उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। घोबीपुरा तालाब एवं सीर तालाब की खुदाई एवं जीर्णोद्धार हेतु कार्ययोजना बनाकर शासन को धनराशि आवंटन हेतु प्रेषित की गयी है। धनराशि अवमुक्त होने पर वर्षा ऋतु के पश्चात कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

अतः अपेक्षित सूचनायें सुसंगत अभिलेखों के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अब तक की गयी कार्यवाही एवं अनुपालन के दृष्टिगत माननीय एन.जी.टी. में उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराने की कृपा करें।

29/06/25  
अतिरिक्त  
अधीक्षक  
जनपद-जालौन



29/6/25  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा  
जनपद-जालौन

## विचाराधीन वाद की सूची

न्यायालय:- अपर जिलाधिकारी, (न्यायिक)-जालौन  
अधिनियम:- पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT), धारा:- 4

## Annexure-R/4

पुराना वाद सं०	कंप्यूटरीकृत वाद सं०	वाद स्थिति	अधिनियम	धारा	वादी बनाम प्रतिवादी	दा० तिथि	सुनवाई तिथि
931/2022	D202206350000931		पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा बाबूलाल	07/12/2022	14/07/2025
947/2022	D202206350000947		पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा रामशरण	08/12/2022	14/07/2025
* 700/2022	D202206350000700		पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उत्तर प्रदेश विजय कुमार आदि	29/09/2022	18/07/2025
965/2022	D202206350000965		पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा पुष्पवटिका गेस्ट हाउस संरक्षक किशनचंद	08/12/2022	29/07/2025
912/2022	D202206350000912		पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा सत्रो किन्नर	07/12/2022	30/07/2025



963/2022	D202206350000963	19/07/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)
945/2022	D202206350000945	19/07/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)
934/2022	D202206350000934	19/07/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)
959/2022	D202206350000959	19/07/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)
937/2022	D202206350000937	19/07/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)
938/2022	D202206350000938	19/07/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)
939/2022	D202206350000939	19/07/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)
940/2022	D202206350000940	19/07/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)
941/2022	D202206350000941	19/07/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)
942/2022	D202206350000942	19/07/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)
943/2022	D202206350000943	19/07/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)

4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा बलखण्डी	08/12/2022	19/07/2025
4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा गंगाराम	08/12/2022	19/07/2025
4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा वारे लाल	08/12/2022	19/07/2025
4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा रतीराम	08/12/2022	19/07/2025
4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा जगदीश	08/12/2022	19/07/2025
4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा छोटे लाल	08/12/2022	19/07/2025
4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा शीला	08/12/2022	19/07/2025
4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा मोहन लाल	08/12/2022	19/07/2025
4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा सरमन	08/12/2022	19/07/2025
4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा रामबाबू	08/12/2022	19/07/2025
4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा श्यामबाबू	08/12/2022	19/07/2025

930/2022	D202206350000930	10/06/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा प्रेमनारायण	07/12/2022	10/06/2025
932/2022	D202206350000932	10/06/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा धनपत	07/12/2022	10/06/2025
951/2022	D202206350000951	10/06/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा गणेश सेवा आश्रम नरवल शाखा	08/12/2022	10/06/2025
948/2022	D202206350000948	10/06/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा राजेन्द्र	08/12/2022	10/06/2025
961/2022	D202206350000961	10/06/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा रामदास	08/12/2022	10/06/2025
964/2022	D202206350000964	10/06/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा भोजेलाल	08/12/2022	10/06/2025
966/2022	D202206350000966	10/06/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा विजय बहादुर	08/12/2022	10/06/2025

909/2022	D202206350000909	10/06/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	43	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा राजाराम मृतक रामदेवी	07/12/2022	10/06/2025
914/2022	D202206350000914	10/06/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा प्रेमनारायण	07/12/2022	10/06/2025
917/2022	D202206350000917	10/06/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा शिवराम	07/12/2022	10/06/2025
911/2022	D202206350000911	10/06/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा राजकुमार	07/12/2022	10/06/2025
929/2022	D202206350000929	10/06/2025	पब्लिक प्रेमीसेस अधिनियम (P.P.ACT)	4	राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा हीरामन (हरीराम )	07/12/2022	10/06/2025

कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 169 / न0पं0कदौरा / नोटिस / 2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

नोटिस

श्री भगवानदीन पुत्र सुमेर  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-60 एन0जेड0ए0 के रकवा 02x 2-1/2 तदनुसार 05 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी पक्का शौचालय बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-913/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04. 2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमित भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 6482.00 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



Amit Kumar

अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3090)

1114  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3090)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 107/न0प0कदौरा/नोटिस/2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री सिद्धराम पुत्र कामता प्रसाद  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-60 एन0जेड0ए0 के रकवा  $2 \times 2-1/2$  तदनुसार 05 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी पक्का शौचालय बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-921/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमित भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 8957.00 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3/7/2025  
अधिसाक्षी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।  
जालौन (3070)

शुभेन्द्र कुमार

वाले 52



04/14  
अधिसाक्षी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3070)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 182 / न0पं0कदौरा / नोटिस / 2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री कमलेश, जीतू, वीरेन्द्र पुत्रगण रंजीत  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-60 एन0जेड0ए0 के रकबा 52x 52 तदनुसार 105 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी पक्का मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-910/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमित भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 138125.20 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कमलेश

17-7-2025

अधिसाक्षी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।



24/14  
अधिसाक्षी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (2025)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 177/न0प0कदौरा/नोटिस/2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री राजू पुत्र पंचम  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्होरी स्थित तालाब गाटा संख्या-60 एन0जेड0ए0 के रकवा 13×18 तदनुसार 234 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी कच्चा मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-924/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमण भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 153625.00 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

राजू  
17-7-25



14/4  
अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3090)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 178/न0प0कदौरा/नोटिस/2025-26

दिनांक:-03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री राजू पुत्र पंचम  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-60 एन0जेड0ए0 के रकबा 2.5x4 तदनुसार 10 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी कच्चा मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-928/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमिit भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 63462.80 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

रज  
17-7-25

अधिसाक्षी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

1114  
अधिसाक्षी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3090)



## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 171 / न0प0कदौरा / नोटिस / 2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री हीरामन पुत्र नन्हू  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।


एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-60 एन0जेड0ए0 के रकबा  $5 \times 7 - 1/2$  तदनुसार 37.50 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी कच्चा बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-929/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमिit भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 26718.00 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



हीरामन पुत्र नन्हू  
17/07/2025

अधिशारी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।



04/14  
अधिशारी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (अध्यास)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 180/न0पं0कदौरा/नोटिस/2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025


### नोटिस

श्री धनपत पुत्र श्री बाबू  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-60 एन0जेड0ए0 के रकवा 4-1/2x 9-1/2 तदनुसार 70.75 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी कच्चा मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-932/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमित भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 48192.40 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अधिसूचना अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।



काजी प्रीती धनपत  
17/07/25

1414  
अधिसूचना अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3090)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 173/न0प0कदौरा/नोटिस/2025-28

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री प्रेमनारायण पुत्र रघुवीर  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-60 एन0जेड0ए0 के रकवा 15× 6-1/2 तदनुसार 97.5 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी पक्का मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-914/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमण भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 128437.60 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अध्यासक अधिकाारी  
अधिशायी अधिकाारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

उक्त नरायण

17-7-25



11/14  
अधिशायी अधिकाारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3050)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 179 / न0प0कदौरा / नोटिस / 2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री हरिश्चन्द्र पुत्र दशरथ प्रसाद  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-60 एन0जेड0ए0 के रकवा 18x 11 तदनुसार 198 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी पक्का मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-925/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03. 2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमण भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 258250.00 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



31/12/21  
17/7/25

अधिशायी अधिकारी,  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

14/14  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
(3070)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 181 / न0प0कदौरा/नोटिस/2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री रामदेवी पत्नी स्व0 राजाराम  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-60 एन0जेड0ए0 के रकवा 5x 6 तदनुसार 30 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी कच्चा मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-909/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमित भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 26494.60 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

सं ७

17. 7. 25 अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (उ.प्र.)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 172 / न०पंचकदौरा/नोटिस/2025-28

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री विन्दप्रकाश पुत्र रघुवीर  
नि० कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-80 एन०जेड०ए० के रकबा 13×6 तदनुसार 78 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी पक्का मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-928/2022 पी०पी० एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमण भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 203999.20 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

रघुवीर

17-7-2025

अधिशिवाजी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

AA114  
अधिशिवाजी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3090)



## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 176 / न0प0कदौरा / नोटिस / 2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री प्रेमनारायण पुत्र रामेश्वर  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-60 एन0जेड0ए0 के रकवा 5.5x 8 तदनुसार 44 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी पक्का मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-930/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमित भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 59333.20 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रेमनारायण

17-7-2025



अधिशासक अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

1414  
अधिशासक अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3040)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 175 / न0पं0कदौरा / नोटिस / 2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री राजकुमार पुत्र रामेश्वर  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-60 एन0जेड0ए0 के रकबा 6×8 तदनुसार 48 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी पक्का मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-911/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमिit भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 64499.20 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

रामेश्वर धुरिया

17/7/2025

अधिसापी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

रामेश्वर धुरिया



MA14  
अधिसापी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (उपरोक्त)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 174/न0प0कदौरा/नोटिस/2025-28

दिनांक:- 03 जुलाई 2025


### नोटिस

श्री शिवराम पुत्र रामसहाय  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-60 एन0जेड0ए0 के रकवा 13x6 तदनुसार 78 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी कच्चा मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-917/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमणित भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 52874.80 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

/s/   
 अधिशासी अधिकारी   
 नगर पंचायत कदौरा-जालौन।



अरवि-दुबे 10/11/21  
17/07/25

2414  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (22.06.25)

कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 189 / न0पं0कदौरा / नोटिस / 2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

नोटिस

श्री सुमन देवी पत्नी रामगोपाल  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-61 एन0जेड0ए0 के रकवा 7x 7-1/2 तदनुसार 52.5 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी आधा पी0एम आवास शेष कच्चा मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-920/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमण भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 36406.00 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



सुमन देवी रामगोपाल

अधीशासी अधीकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

1414

अधीशासी अधीकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 188 / न0पं0कदौरा/नोटिस/2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री सुमन देवी पत्नी रामगोपाल  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-61 एन0जेड0ए0 के रकवा 5x3 तदनुसार 15 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी कच्चा मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-918/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमित भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 12187.00 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



सुमन देवी पत्नी रामगोपाल  
17/07/25

अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

12414  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3080)

60

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 183 / न0पं0कदौरा / नोटिस / 2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री लाखन पुत्र मंगली  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-61 एन0जेड0ए0 के रकवा 5x 18 तदनुसार 90 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी पक्का मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-922/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमित भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 118750.00 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

रामजानकी

17/7/25



24/1/4  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (2025)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 187/न0पं0कदौरा/नोटिस/2025-28

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री बालो पत्नी गुल्लम  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-81 एन0जेड0ए0 के रकवा 07x08 तदनुसार 42 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी कच्चा मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-927/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमण भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 29624.80 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



बालो पत्नी गुल्लम  
17/07/25

अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

DAI-4  
अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (2025)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 190 / न0पं0कदौरा / नोटिस / 2025-26


दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री सतेन्द्र पुत्र बलखण्डी  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-61 एन0जेड0ए0 के रकवा 9x 2 तदनुसार 18 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी पक्का मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-916/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03. 2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमण भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 25750.00 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



शुद्धी पत्नी बलखण्डी  
17/07/25

अतिरिक्त अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।



24/11/25  
अतिरिक्त अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (उ0प्र0)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 185/न0प0कदौरा/नोटिस/2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री ब्रजकिशोर पुत्र छन्नू  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-61 एन0जेड0ए0 के रकवा 9-1/2x 18 तदनुसार 171 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी आधा कच्चा आधा पक्का मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-919/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमिit भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 168257.20 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

ब्रजकिशोर  
17/7/25

1  
अधिसूचना अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

2414  
अधिसूचना अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (30410)



## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 186 / न0प0कदौरा / नोटिस / 2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री ब्रजकिशोर पुत्र छन्नू  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-61 एन0जेड0ए0 के रकवा 6-1/2x4 तदनुसार 26 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी कच्चा मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-923/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03. 2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमण भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 19291.60 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

ब्रजकिशोर  
17/7/25

अधिसाक्षी/अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।



2414  
अधिसाक्षी/अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 184/न0प0कदौरा/नोटिस/2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री राजेश कुमार पुत्र राम विलास  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला बम्हौरी स्थित तालाब गाटा संख्या-61 एन0जेड0ए0 के रकबा 11x 12 तदनुसार 130 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी पक्का मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-915/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमण भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 170416.00 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अधिसूचना अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

विशाल खन्ना  
17/07/25



24/14  
अधिसूचना अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3040)

कार्यालय:- नगर पंचायत 7 दौरा-जालौन

पत्रांक: २०५ / न०प०कदौरा / नोटिस / 2025-26

दिनांक:- ०३ जुलाई 2025

नोटिस

श्री मेवालाल पुत्र होरीलाल  
नि० कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला कदौरा स्थित तालाब गाटा संख्या-566 एन०जेड०ए० के रकबा 10-1/2x10 तदनुसार 105 वर्गमीटर व 6x5-1/2 तदनुसार 33 वर्गमीटर कच्चा मकान बनाकर कब्जा तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी पक्का व कच्चा मकान बनाकर निर्माण कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-944/2022 पी०पी० एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमित भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 37397.20 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



राजा

अधिसासी अधिकारी  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन(3090)

24/14  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन(3090)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 198 / न0प0कदौरा/नोटिस/2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री किशोर पुत्र फुन्दन  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला कदौरा स्थित तालाब गाटा संख्या-566 एन0जेड0ए0 के रकबा 06x 3 तदनुसार 18 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी पक्का मकान बनाकर कब्जा कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-954/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमण भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 2732.50 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



ए.के. पाण्डेय

03/07/2025  
अधियासी अधिकारी  
अधियासी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।  
नगर पंचायत कदौरा  
जालौन(3090)

24/14  
नगर पंचायत कदौरा  
जालौन

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक: 131 / न0पं0कदौरा/नोटिस/2025-26

दिनांक:- 03 जुलाई 2025

### नोटिस

श्री देवीदीन पुत्र मैकू  
नि0 कस्बा कदौरा, परगना कालपी  
जनपद-जालौन।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पंचायत कदौरा के मुहल्ला कदौरा स्थित तालाब गाटा संख्या-566 एन0जेड0ए0 के रकवा 6×13 तदनुसार 78 वर्गमीटर तालाब की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन करके स्थायी पक्का मकान बनाकर कब्जा कर लिया है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या-955/2022 पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन के यहां दायर किया गया, मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2025 को निस्तारित कर दिया है। उक्त आदेश में आपके द्वारा अतिक्रमित भू-भाग रिक्त न किये जाने के कारण 103249.60 रुपये की क्षति होने का उल्लेख किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अवैध अध्यासन हटाते हुए अधिरोपित धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा 30 दिन के अन्दर अवैध अध्यासन स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो अवैध अध्यासन को ध्वस्त कर, हटाये जाने का खर्च अलग से वसूल किया जायेगा और अधिरोपित धनराशि जमा न होने की दशा में भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



311211

31/7/2025  
अधिसाक्षी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।  
जालौन (3030)

24/11/25  
अधिसाक्षी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (3030)

## कार्यालय:- नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक:- 166/न0प0कदौरा/एन0जी0टी0/2025-26

दिनांक: 03 जुलाई, 2025

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/  
प्रमारी अधिकारी (स्था0नि0)  
जालौन स्थान उरई।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No. 94/2022(IA संख्या 425/2024, IA संख्या 232/2024, IA संख्या 168/2025 में निष्पादन आवेदन संख्या-11/2024 तथा मूल आवेदन संख्या 41/2020 (I.A. Nos. 426/2024, IA संख्या 233/2024, IA संख्या 169/2025) में निष्पादन आवेदन संख्या 12/2024 दिनांक 16 मई, 2025 में पारित निर्देशों की अनुपालन आख्या के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी जालौन के पत्रांक-301/21-एल0बी0ए0 उरई दिनांक 13 जून, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के मूल वाद संख्या-94/2022(IA संख्या 425/2024, IA संख्या 232/2024, IA संख्या 168/2025 में निष्पादन आवेदन संख्या-11/2024 तथा मूल आवेदन संख्या 41/2020 (I.A. Nos. 426/2024, IA संख्या 233/2024, IA संख्या 169/2025) में निष्पादन आवेदन संख्या 12/2024 दिनांक 16 मई, 2025 के क्रम में कर्बा कदौरा स्थित तालाबों पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, तदनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का आख्या निम्नवत है-

मौजा कदौरा व मौजा बम्हौरी में कुल 13 तालाब दर्ज अभिलेख है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	मौजा	गाटा सं. ZA या NZA	नाम	रकबा, हे0 में
1	कदौरा	112 (ZA)	तालाब	0.785 हे0
2	कदौरा	586 (NZA)	तालाब	2.679 हे0
3	कदौरा	266(ZA)	तालाब	1.315 हे0
4	कदौरा	311(ZA)	तालाब	0.316 हे0
5	कदौरा	657(NZA)	तालाब	0.101 हे0
6	कदौरा	659(NZA)	तालाब	0.101 हे0
7	कदौरा	946(NZA)	तालाब	1.226 हे0
8	कदौरा	430/994(ZA)	तालाब	0.130 हे0
9	कदौरा	585(ZA)	तालाब	0.235 हे0
10	कदौरा	292(NZA)	तालाब	0.353 हे0
11	कदौरा	60(NZA)	तालाब	0.474 हे0
12	कदौरा	61(NZA)	तालाब	0.069 हे0
13	कदौरा	566(NZA)	तालाब	0.611 हे0

अधोहस्ताक्षरी एवं राजस्व टीम द्वारा स्थलीय परीक्षण करने पर क्रम संख्या 1 लगायत 10 मौजा कदौरा के तालाब अतिक्रमण मुक्त पाये गये NZA तालाब गाटा संख्या 586 रकबा 0.611 हे0 मौजा कदौरा, तालाब गाटा संख्या 60 रकबा 0.474 हे0 मौजा बम्हौरी एवं तालाब गाटा संख्या 61 रकबा 0.069 हे0 मौजा बम्हौरी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नगर पंचायत कार्यालय कदौरा के पत्रांक 148/न0प0 कदौरा/एन0जी0टी0 अनुपालन आख्या/2025-26 दिनांक 30.06.2025 के अनुसार विवरण निम्नवत है-



1/20  
3/7/2024

11/14  
अधिसूचि अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (राजस्थान)

1. गाटा संख्या-61 रकवा 0.069 हे० तालाब मौजा बम्होरी तहसील कालपी पर कुल 9 अतिक्रमण पाये गये थे, जिनपर मा० न्यायालय अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन में पी०पी०एक्ट के अन्तर्गत कुल 9 वाद योजित किये गये थे उपरोक्त वादों में मा० न्यायालय द्वारा बेदखली आदेश पारित किया गया। आदेशानुपालन में नगर निकाय, राजस्व एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29.08.2025 को तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
2. गाटा संख्या 60 रकवा 0.474 हे० तालाब मौजा बम्होरी तहसील कालपी पर कुल 14 अतिक्रमण पाये गये थे, जिनपर मा० न्यायालय अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन में पी०पी०एक्ट के अन्तर्गत 9 वाद योजित किये गये थे। उपरोक्त वादों में मा० न्यायालय द्वारा बेदखली आदेश पारित किया गया। आदेशानुपालन में नगर पंचायत कदौरा, राजस्व एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29.08.2025 को तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया गया और पाया गया कि तालाब में अत्यधिक जलमराव है जिसके कारण जे०सी०बी० मशीन का अतिक्रमण स्थल तक पहुच पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। वर्षाऋतु के पश्चात अतिक्रमण हटा दिया जायेगा।
3. गाटा संख्या 566 रकवा 0.611 हे० NZA तालाब मौजा कदौरा तहसील कालपी पर कुल 33 अतिक्रमण पाये गये थे, जिनमें से 20 अतिक्रमणों के सम्बंध में मा० न्यायालय अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन में पी०पी०एक्ट के अन्तर्गत बेदखली आदेश पारित किया गया। अवशेष 13 प्रकरण वर्तमान समय में मा० न्यायालय अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जालौन में विचाराधीन है। आदेशानुपालन में नगर पंचायत कदौरा, राजस्व एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29.08.2025 को तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया गया और पाया गया कि अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र घनी आबादी के मध्य स्थित तालाब का है, जिस पर जाने का रास्ता नहीं है, अवशेष 13 वादों में मा० न्यायालय से बेदखली आदेश पारित होने के पश्चात एक साथ ही अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही किया जाना नियमानुसार उचित पाया गया।  
अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

31/8/25  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

प्रतिलिपि:- उपजिलाधिकारी महोदय, कालपी को उपरोक्तानुसार सूचनायें प्रेषित।



अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

24/8/25  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत-कदौरा  
जालौन (30/8/25)

**Final Copy of Compliance Affidavit on behalf of Respondent No. 1 in compliance of order dated 16.05.2025 passed by This Hon'ble Tribunal.**

1 message

**Berendra Negi** <headclerknegi@gmail.com>  
To: ranjan kumar rai <advranjan.raai@gmail.com>

Thu, Jul 31, 2025 at 12:03 PM

 Complise Affidavit Resp. 1.pdf

Sir,  
This is Final Copy.